

In the Court of S.D.J.M Bikramganj
C-515/2025

Date of Order	Orders with initials of the Magistrate	Remarks
<u>10.06.2026</u>	अभिलेख प्रस्तुत किया गया, परिवादी अनुपस्थित है। प्रस्तुत वाद कांति कुमारी द्वारा धनजी राम एवं अन्य के विरुद्ध लाया गया है। वाद में परिवादिनी दिनांक 23.08.25 को उपस्थित होकर अपना सशपथ बयान दर्ज कराई थी, एवं दिनांक 15.09.25 को जांच साक्ष्य प्रस्तुत किया था। उसके उपरान्त ना तो परिवादिनी कभी उपस्थित हुई और ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया। दिनांक 26.05.26 को उनको सदेह उपस्थित रहने हेतु आदेशित किया गया किंतु वह आज भी अनुपस्थित है। इससे प्रतीत होता है कि परिवादिनी की प्रस्तुत वाद में कोई अभिरुचि नहीं रह गई है। ऐसी परिस्थिति में प्रस्तुत वाद को बी.एन.एस.एस की धारा 226 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में दर्ज कराना सुनिश्चित करें। (Dictated) S.D J.M	